न्यायालय जिला न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।

पीठासीनः नीरज कुमार (एच०जे०एस०) आई०डी०नं०यू०पी० 1907

UPFR010000892026

Presented on : 08-01-2026
Registered on : 08-01-2026
Decided on : 07-08-2026
Duration : Eight months

प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–01/2026

फारिया खान आयु लगभग 43 वर्ष पुत्री स्व०वसीम अली खां निवासी ग्राम याहियापुर कस्बा कायमगंज परगना कम्पिल तहसील कायमगंज जिला फर्रुखाबाद।

.....**प्रतिवादिनी/अपीलार्थिनी**

प्रति

1–नईम अली खान आयु लगभग 70 वर्ष पुत्र स्व०फकफूर अली खान निवासी ग्राम याहियापुर कस्बा कायमगंज परगना कम्पिल तहसील कायमगंज जिला फर्रुखाबाद।

.....**वादी/प्रत्युत्तरदाता**

2–मुज़्फर अली खान आयु लगभग 80 वर्ष पुत्र श्री फकफूर अली खान निवासी ग्राम याहियापुर कस्बा कायमगंज परगना कम्पिल तहसील कायमगंज जिला फर्रुखाबाद।

.....**औपचारिक प्रतिवादी/प्रत्युत्तरदाता**

&

UPFR010028382026

Presented on : 14-07-2026
Registered on : 14-07-2026
Decided on : 07-08-2026
Duration : 24 days

प्रत्याक्षेप (प्रकीर्ण सिविल वाद) संख्या–83/2026

नईम अली खॉ आयु लगभग 70 वर्ष पुत्र स्व०फकफूर अली खॉ निवासी याहियापुर कस्बा कायमगंज परगना कम्पिल तहसील कायमगंज जिला फर्रुखाबाद।

.....**वादी/आक्षेपकर्ता**

प्रति

1–फारिया खान आयु लगभग 43 वर्ष पुत्री स्व०वसीम अली खां निवासी ग्राम याहियापुर कस्बा कायमगंज परगना कम्पिल तहसील कायमगंज जिला फर्रुखाबाद।

.....**प्रतिवादिनी/प्रतिपक्षी**

2–मुज़्फर अली खान आयु लगभग 80 वर्ष पुत्र श्री फकफूर अली खान निवासी ग्राम याहियापुर कस्बा कायमगंज परगना कम्पिल तहसील कायमगंज जिला फर्रुखाबाद।

.....**औपचारिक प्रतिपक्षी**

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.08.07 15:50:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निर्णय

1– उपरोक्त दोनों मामले न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन, फर्रुखाबाद द्वारा मूलवाद संख्या 325/2025 नईम अली खान बनाम फारिया खान आदि में दिनांक 01.01.2026 को पारित आदेश के विरुद्ध योजित किए गए हैं, जिसके द्वारा वादी का प्रा०पत्र 6 ग एवं प्रतिवादी का प्रा०पत्र 20 ग अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी बावत अस्थायी निषेधाज्ञा, विवादित संपत्ति को विक्रय न किए जाने के संबंध में आंशिक रूप से स्वीकार किए गए हैं और विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को आदेशित किया गया कि वे दौरान मुकदमा वादपत्र के अन्त में वर्णित वादग्रस्त संपत्ति का विक्रय किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में न करें।

2– अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी नईम अली खान ने प्रतिवादिनी फारिया खान के विरुद्ध मूलवाद संख्या 325/2025 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं उसका भाई मुजफ्फर अली एवं फारिया खान के पिता स्व०वसीम अली एवं वादी के एक और भाई सरदार अली खां अपने पिता स्व०फकफूर अली खान की मृत्यु के बाद उनकी तमाम संपत्तियों के बराबर बराबर मालिक हो गये, किन्तु वादी के भाई सरदार अली खान ने विवाह नहीं किया था एवं न ही उनके कोई औलाद थी इसलिए मुसलिम विधि के अनुसार सरदार अली खान की संपत्ति और स्व०फकफूर अली खां की संपत्ति में जो उनका हिस्सा था वादी एवं औपचारिक प्रतिवादी मुजफ्फर अली को प्राप्त हुए। वादी के भाई वसीम अली खां का स्वर्गवास, सरदार अली खां के जीवनकाल में ही हो गया था इसलिए वसीम अली खां एवं उनके उत्तराधिकारियों को सरदार अली खां की संपत्ति में कोई भी हिस्सा मुस्लिम विधि के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ किन्तु प्रतिवादी सं० 1 फारिया खान ने सरदार अली खां की संपत्ति को हड़पने के लिए एक अवैध फर्जी वसीयत 11.11.2020 को प्रस्तुत की। सरदार अली खान द्वारा कोई वसीयत फारिया खान के पक्ष मे नहीं की गयी क्योंकि दिनांक 11.11.2020 को सरदार अली खान मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थे और न ही अपना भला बुरा सोचने में सक्षम थे, उनको आंखो से कम दिखाई व कानो से कम सुनाई पड़ता था, वह चलने फिरने में भी असमर्थ थे तथा वैसे भी मुस्लिम ला के अनुसार एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी 1/3 संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है। अतः वादी ने अनुतोष चाहा कि वादपत्र के अंत में वर्णित संपत्ति के संबंध में उक्त फर्जी वसीयत निरस्त की जाए और उक्त संपत्तियों पर स्थाई व्यादेश की आज्ञप्ति वादी व औपचारिक प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में एवं प्रतिवादिनी सं० 1 के विरूद्ध पारित की जाए।

प्रतिवादिनी फारिया खान ने प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादपत्र के कथनों से इन्कार किया तथा प्रतिदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त वसीयत स्व० सरदार अली खान द्वारा अपने पूरे होशोहवास में उसके पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत

करायी गयी है तथा वादी उक्त सरदार अली खान की संपत्तियों को हड़पने के लिए उसको बेदखल करना चाहता है।

3– उक्त मूलवाद में वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 6 ग 2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि दौरान वादकाल प्रतिवादी सं० 1 को अस्थायी व्यादेश द्वारा निषिद्ध किया जाये कि वादपत्र के अन्त में वर्णित कृषि भूखण्डों के संबंध में कोई भी प्रलेख किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित न करें एवं न ही उस पर स्थित वादी व औपचारिक प्रतिवादी सं० 2 की फसल आदि को क्षतिग्रस्त करें एवं न ही उक्त भूमि के प्रयोग करने में बाधा डालें।

प्रतिवादी सं० 1 की तरफ से प्रार्थनापत्र 20 ग अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी इस आशय का दिया गया कि दौरान वादकाल वादी को अस्थायी व्यादेश द्वारा निषिद्ध किया जाये कि बलपूर्वक एवं अवैधानिक तरीके से सरदार अली खां द्वारा प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में निष्पादित प्रश्नगत वसीयत व वादपत्र में वर्णित संपत्ति से प्रतिवादी सं० 1 को बेदखल न करें एवं न ही उस पर कब्जा करें न ही उस पर खड़ी फसल को नष्ट करें न ही उसका हस्तान्तरण जरिये विक्रयपत्र अथवा अन्य किसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में करें न ही किसी अन्य प्रकार से उस पर प्रतिवादी सं० 1 के कब्जे में हस्तक्षेप करें।

4– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र 6 ग एवं प्रतिवादी की आपत्ति/प्रार्थनापत्र 20 ग पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के उपरांत; दोनों प्रार्थनापत्र प्रश्नगत संपत्ति को विक्रय न किये जाने के संबंध में आंशिक रूप से स्वीकार किये गये। उभय पक्षों को को आदेशित किया गया कि वे दौरान मुकदमा वादपत्र के अन्त में वर्णित वादग्रस्त संपत्ति का विक्रय किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में न करें। इसी आलोच्य आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादी सं० 1 द्वारा यह प्रकीर्ण सिविल अपील संस्थित की गयी है एवं वादी द्वारा प्रत्याक्षेप संस्थित किया गया है।

5– विविध सिविल अपील एवं प्रत्याक्षेप में, उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

6– विविध अपील में प्रतिवादी/अपीलार्थिनी की ओर से आधार व तर्क लिये गये हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध साध्य, तथ्यों, परिस्थितियों एवं तत्सम्बन्धी विधि व्यवस्थाओं से वादी/प्रतिउत्तरदाता संख्या 1 का प्रथम दृष्टया वाद किसी भी दशा में सिद्ध नही होता है परन्तु विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधि व्यवस्थाओं को उचित प्रकार से अपने विचारण में नहीं लिया और उसका प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा कागज संख्या 6 ग आंशिक रूप से स्वीकार कर अविधिक आदेश पारित किया। इस प्रकरण के पक्षकार मुस्लिम समुदाय के हैं और प्रश्नगत सम्पत्ति कृषि भूमि है तथा वादी/प्रतिउत्तरदाता संख्या 1 ने मुस्लिम विधि के अनुसार स्वयं को

स्व० सरदार अली खां का उत्तराधिकारी होने का कथन वाद पत्र में किया है और उसके आधार पर स्वयं एवं औपचारिक प्रतिवादी/प्रतिउत्तरदाता संख्या–2 को प्रश्नगत सम्पत्ति का मालिक व काबिज होना प्रकट किया है, जबकि विधि के अन्तर्गत कृषि भूमि के सम्बन्ध में मुस्लिम विधि के प्राविधान लागू नहीं होते हैं। इसलिए प्रतिउत्तरदातागण संख्या 1 व 2 मुस्लिम विधि के अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि के मालिक व काबिज नहीं हो सकते हैं और न ही हुए हैं, स्पष्ट है कि वादी/प्रतिउत्तरदाता संख्या 1 का कोई प्रथम दृष्टया वाद नही है। प्रश्नगत सम्पत्ति के मालिक, काबिज व भूमिधर स्व० सरदार अली खां रहे हैं और उन्होनें अपने जीवनकाल में सोच समझकर अपनी स्वतन्त्र इच्छा से प्रश्नगत पंजीकृत वसीयत दिनांकित 11.11.2020 प्रतिवादी/अपीलार्थिनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित की थी जो स्व०सरदार अली खां की मृत्यु दिनांक 31.12.24 को होने के बाद प्रभावी हुयी जिसके आधार पर प्रतिवादी/अपीलार्थिनी स्व०सरदार अली द्वारा छोड़ी गयी प्रश्नगत सम्पत्ति सहित उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों की मालिक व काबिज चली आ रही है और वह उनमें अपनी फसलें आदि करती है। प्रश्नगत पंजीकृत वसीयत के माध्यम से प्रतिवादी/अपीलार्थिनी का प्रथम दृष्टया वाद उसके अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 20ग को पूर्ण रूप से स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से सिद्ध है परन्तु विचारण न्यायालय ने प्रकरण के इस परिपेक्ष्य को अपने विचारण में नहीं लिया उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्को एवं अभिवचनों से यह हरगिज स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादी/अपीलार्थिनी जनपद फर्रुखाबाद के बाहर निवास करती है बल्कि वादी/ प्रतिउत्तरदाता संख्या 1 ने स्वयं वाद पत्र में प्रतिवादी/अपीलार्थिनी का निवास स्थान ग्राम याहियापुर, कस्बा कायमगंज, परगना कम्पिल, तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद दर्शाया है और प्रतिवादी/अपीलार्थिनी ने भी स्वयं को उक्त ग्राम याहियापुर में निवास करना प्रकट किया है और वास्तव में भी प्रतिवादी/अपीलार्थिनी ग्राम याहियापुर में ही वर्तमान में निवास कर रही है। यदि प्रतिवादी/अपीलार्थिनी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 20ग पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है तो प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रतिउत्तरदातागण द्वारा अपने अवैध कृत्य करने में सफल होने की सम्भावना रहेगी जिससे प्रतिवादी/अपीलार्थिनी की अपूर्णनीय क्षति होगी। यदि वादी/प्रतिउत्तरदाता संख्या 1 का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ग पूर्ण रूप से निरस्त किया जाता है तो उसे किसी प्रकार की कोई क्षति नही होगी। प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में मुस्लिम विधि लागू होगी अथवा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम अथवा राजस्व अधिनियम के प्राविधान लागू होंगे, यह एक विधिक बिन्दु है। धारा 169 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम तथा धारा 107 उत्तर प्रदेश रेवेन्यू एक्ट 2006 के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में वसीयत लिखित रूप में दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत तथा पंजीकृत होना चाहिए।

स्व० सरदार अली खां द्वारा प्रतिवादी/अपीलार्थिनी के पक्ष में निष्पादित प्रश्नगत वसीयत लिखित रूप में है और वह दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत तथा पंजीकृत है। प्रश्नगत आदेश विधिक सिद्धान्तो के विपरीत एवं विधि के सम्बन्ध में मूक आदेश है। प्रश्नगत आदेश सर्माइजेज एंव कंजेक्चर पर आधारित है, अनुरोध किया कि अपील सव्यय स्वीकार करके, आलोच्य आदेश निरस्त कर प्रतिवादी/अपीलार्थिनी का प्रा०पत्र 20ग पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाए।

7– प्रत्याक्षेप (प्रकीर्ण सिविल वाद) में वादी/आक्षेपकर्ता की ओर से आधार व तर्क लिए गए हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य से यह भलीभाँति स्पष्ट था कि वादी/आक्षेपकर्ता का प्रश्नगत सम्पत्ति पर अध्यासन है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को अस्वीकार कर विधिक भूल की गयी है। वादी/आक्षेपकर्ता मृतक सरदार अली का सगा भाई है और उनकी मृत्यु उपरान्त मुस्लिम विधि के अनुसार उनकी सम्पत्ति का स्वामी अध्यासीन है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध प्रतिपक्षी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र 20ग आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और वादी/आक्षेपकर्ता का प्रार्थना पत्र संख्या 6ग अध्यासन में हस्तक्षेप न करने के बावत स्वीकार नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध वादी/ आक्षेपकर्ता का प्रार्थना पत्र अस्थाई ब्यादेश 6ग पूर्णरूप से स्वीकार नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध स्वीकृतियों एवं साक्ष्य से भलीभॉति स्पष्ट था कि प्रतिपक्षी संख्या 1 द्वारा अभिकथित वसीयत पूर्णतया फर्जी एवं शून्य प्रलेख है। वादी/आक्षेपकर्ता का ब्यादेश हेतु प्रथम दृष्टया मामला पूर्णतया सिद्ध था। विचारण न्यायालय द्वारा वादी/आक्षेपकर्ता के प्रार्थना पत्र 6ग बावत निर्गत करने अस्थाई ब्यादेश को पूर्णरूप से स्वीकार न करके विधि एवं तथ्य की भूल की गयी है। प्रतिवादिनी/प्रतिपक्षी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र 20ग आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा विधिक भूल की गयी है तथा आदेश विधि विरूद्ध है, अनुरोध किया प्रत्याक्षेप (प्रकीर्ण सिविल वाद) स्वीकार करके वादी/आक्षेपकर्ता का प्रार्थना पत्र 6ग वास्ते अस्थाई व्यादेश पूर्णरूप से स्वीकार किया जाए और प्रतिवादिनी/अपीलार्थिनी का प्रा०पत्र 20ग निरस्त किया जाए।

8– उभय पक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि स्वीकृत रूप से विवादित भूमि कृषि भूमि है।

मुस्लिम पर्सनल ला(शरीयत) अप्लीकेशन एक्ट 1937 की धारा 2 प्राविधानित करती है कि:–

Notwithstanding any customs or usage to the contrary, in all questions (save questions relating to agricultural land) regarding intestate succession, special property of females, including personal property

inherited or obtained under contract or gift or any other provision of Personal Law, marriage, dissolution of marriage, including *talaq, ila zihar, lian, khula and mubaraat,* maintenance, dower, guardianship, gifts, trusts and trust properties, and *wakfs* (other than charities and charitable institutions and charitable and religious endowments) the rule of decision in cases where the parties are Muslims shall be Muslim Personal Law *(Shariat).*

उक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि मुस्लिम विधि मुस्लिमों के उक्त सभी मामलों में लागू होती है किन्तु कृषि भूमि के संबंध में नहीं।

9– महेन्द्र सिंह बनाम अतर सिंह एवं अन्य 1967 आर०डी० पेज 191 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भूमिधरी अधिकार विशेष अधिकार हैं जो एक्ट नं० 1 सन 1951 के अन्तर्गत निर्मित किये गये हैं जो पूर्णतया उक्त अधिनियम के प्राविधानों से शासित होते हैं एवं हिन्दू विधि अथवा मुस्लिम विधि की अवधारणायें कृषि भूमि के संबंध में लागू नहीं होती हैं। माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा गोपाल सिंह बनाम बबलू एवं अन्य 2015(129)आर०डी० पेज 32 द्वारा भी यह अवधारित किया गया है कि कृषि भूमि के संबंध में हिन्दू विधि एवं मुस्लिम विधि की अवधारणायें अनुप्रयुक्त नहीं होती हैं।

10– उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित दृष्टिकोण के आलोक में यह न्याालय इस मत का है कि कृषि संबंधी कानून जो कि उत्तर प्रदेश में लागू है, धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के हैं और विशेष विधि है जिसके संबंध में हिन्दू विधि एवं मुस्लिम विधि लागू नहीं होती है। प्रस्तुत मामले में वादी नईम अली खां द्वारा वादपत्र में मुस्लिम विधि के अनुसार उत्तराधिकारी होने के आधार पर विवादित भूमि का स्वामी व उस काबिज होने के अभिकथन किये गये हैं अर्थात वाद मुस्लिम विधि के अनुसार उत्तराधिकारी होने के आधार पर योजित किया गया है तथा वाद में वर्णित कृषि भूमि का स्वामी स्व० फकफूर अली खां को होना एवं उनकी मृत्यु के उपरांत स्वयं को व अपने भाइयों को स्वामी व काबिज होना अभिकथित किया है जबकि कृषि भूमि का उत्तराधिकार मुस्लिम विधि के अनुसार नहीं हो सकता है इस बिन्दु पर विधिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। और यह विधिक बिन्दु है इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में दिया गया यह निष्कर्ष कि उक्त बिन्दु पर कोई मत साक्ष्य के उपरांत ही प्रकट किया जा सकता है, विधि के अनुकूल नहीं है क्योंकि इस बिन्दु पर स्पष्ट विधि होते हुए साक्ष्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और प्रस्तुत मामले में प्रश्नगत कृषि भूमि के हिबा किये जाने का भी कोई प्रश्न अर्न्तवलित नहीं है। यह स्थापित विधि है कि कोई व्यक्ति किसी कृषि भूमि का संक्रमणीय भूमिधर है तो वह उसका

पूर्ण स्वामी है और वह उसका जमींदारी विनाश अधिनियम/उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के प्राविधानों के अनुसार विक्रय, दान आदि द्वारा अन्तरित कर सकता है तथा वसीयत भी कर सकता है।

11– इस स्तर पर मात्र प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना होता है। चूंकि कृषि भूमि के संबंध में केवल कृषि भूमि संबंधी कानून ही लागू होता है, व्यक्तिगत विधि नहीं, इसलिए प्रथम दृष्टया वादी नईम अली खान का मृतक सरदार अली खान का उत्तराधिकारी होना व विवादित कृषि भूमि में उसे अधिकार मिलना तथा उस पर काबिज होना प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं होता है, जबकि अपीलार्थिनी/प्रतिवादिनी फारिया खान स्वीकृत रूप से मृतक सरदार अली खान की भतीजी है और सरदार अली खान द्वारा उसके पक्ष में पंजीकृत वसीयत दिनांकित 11.11.2020 निष्पादित की गयी है। सरदार अली खान की मृत्यु दिनांक 31.12.2024 को हो चुकी है और उसकी मृत्यु के पश्चात से वसीयत के अनुसार प्रथम दृष्टया वह मृतक सरदार अली खान द्वारा छोड़ी गयी कृषि भूमि की स्वामी व काबिज होना प्रकट होती है।

12– यह स्थापित विधि है कि पंजीकृत वसीयत जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी द्वारा सिद्ध न कर दी जाये तब तक साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती। किन्तु प्रश्नगत मामला पंजीकृत वसीयत के साक्ष्य के रूप में प्रयोग किये जाने मात्र का नहीं है बल्कि वसीयत प्रतिदावा का आधार है एवं चूंकि वसीयत पंजीकृत है और प्रथम दृष्टया विधि अनुसार निष्पादित की गयी प्रतीत होती है, जब तक उक्त वसीयत को सिविल न्यायालय द्वारा शून्य एवं अवैध घोषित नहीं कर दिया जाता है तब तक उसके अस्तित्व में रहते उस पर विश्वास किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता एवं न ही उक्त वसीयत के विरूद्ध किसी विपरीत अवधारणा का गठन होता है। जबकि वादी नईम अली खान विधि अनुसार मृतक सरदार अली का उत्तराधिकारी नहीं है क्योंकि सरदार अली खान द्वारा मृत्यु पूर्व ही वसीयत की जा चुकी थी जो उसकी मृत्यु के ठीक उपरांत प्रभाव में आ गयी है इसलिए जमींदारी विनाश अधिनियम/भू राजस्व संहिता के प्राविधानों के अनुसार उसके उत्तराधिकार क्रम में नहीं आता है।

13– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस मत का है कि वादी नइम अली खान अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला दर्शित नहीं कर पाया है जबकि अपीलार्थी/प्रतिवादी फारिया खान के द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया है और यदि उसके पक्ष में अस्थायी व्यादेश जारी नहीं किया जाता तो उसे अपूर्णनीय क्षति होगी। सुविधा का सन्तुलन भी अपीलार्थिनी के पक्ष में है। विद्वान विखरण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में साक्ष्य एवं विधि के अनुरूप नहीं है, तदनुसार अपील बलयुक्त होने के कारण स्वीकार होने योग्य है तथा प्रत्याक्षेप बलहीन होने के कारण खण्डित होने

योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत विविध अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्याक्षेप खण्डित किया जाता है। आलोच्य आदेश दिनांकित 01.01.2026 अपास्त किया जाता है।

प्रार्थनापत्र 6ग खण्डित किया जाता है जबकि प्रार्थनापत्र 20ग स्वीकार किया जाता है और उत्तरदाता/वादी को आदेशित किया जाता है कि दौरान वाद प्रश्नगत संपत्ति/कृषि भूमि में अपीलार्थिनी/प्रतिवादिनी के कब्जा दखल में हस्तक्षेप न करें एवं न ही किसी को हस्तान्तरित करे।

उभय पक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगें।

निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख नियमानुसार सम्बन्धित न्यायालय को अविलंब वापस प्रेषित किया जाए।

निर्णय की प्रति संबंधित प्रत्याक्षेप पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांकः 07.08.2026

(नीरज कुमार)
आई०डी०नं०यू०पी० 1907
जिला न्यायाधीश फर्रूखाबाद

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः 07.08.2026

(नीरज कुमार)
आई०डी०नं०यू०पी० 1907
जिला न्यायाधीश, फर्रूखाबाद